

प्रारूप क्षेत्रीय विकास योजना के— II (द्वारका)

प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रारूप क्षेत्रीय विकास योजना के — II
मद सं. 78/2007 दिनांक 30.10.2007

दिल्ली विकास प्राधिकरण
द्वारका योजना कार्यालय

विषय सूची

प्रस्तावना

1-0	भूमिका	
1.1	पृष्ठभूमि, अवस्थिति, सीमाएं एवं क्षेत्र	1
1.2	सांविधिक प्रावधान और उद्देश्य	1
1.3	पहले से अनुमोदित जोनल विकास प्लान	2
2.0	जोनल विकास योजना प्रस्ताव	
2.1	जनसंख्या एवं रोजगार	3
2.2	आवासीय विकास	3
2.3	कार्य केन्द्र	6
2.4	सामाजिक आधारिक संरचना	7
2.5	परिवहन	8
2.6	पर्यावरण/महत्वपूर्ण क्षेत्र	9
2.7	शहरी डिजाइन के लिए क्षेत्र	10
2.8	निर्मित विरासत का संरक्षण	10
2.9	भौतिक आधारिक संरचना	10
2.10	हरित पट्टी	11
2.11	मनोरंजनात्मक उपयोग	11
2.12	प्रस्तावित भूमि उपयोग	12
2.13	चरण एवं कार्यान्वयन	13
2.14	प्लान का पुनरीक्षण और मॉनीटरिंग	14
अनुबंध		15
नक्शे		
	• अवस्थिति नक्शा	18
	• मौजूदा निर्मित क्षेत्र	19
	• प्रस्तावित भूमि उपयोग	20

के-II की प्रारूप क्षेत्रीय विकास योजना

प्रस्तावना

प्राधिकरण ने दिनांक 6.9.2007 को हुई अपनी बैठक में प्राधिकरण के संकल्प के अनुसार पहले से विद्यमान वास्तविक संस्थाएं, जो दिनांक 1.1.2006 के पूर्व की हैं, और जो लोगों के लिए सांस्कृतिक, धार्मिक (अध्यत्मिक सहित), स्वास्थ्य की देखभाल और शैक्षिक सेवाएं प्रदान करती हैं, किंतु जो रिज या ग्राम सभा या सार्वजनिक भूमि के भाग के रूप में नहीं हैं, वे मुख्य योजना-2021 के 3 और 4 खण्डों को ध्यान में रखते हुए संबंधित जोनल योजनाओं में उनके वर्तमान भूमि उपयोगों के साथ सम्मिलित की जाएंगी। तथापि, इस प्रकार की संस्थाएं वास्तविक जांच, एफ.ए.आर. विकास प्रभारों, भूमि उपयोग आदि के संबंध में उचित नीति और प्रक्रियात्मक प्रतिबंध-शर्तों की शर्त पर होंगी।

1.0 भूमिका : दिल्ली विकास अधिनियम-1957 के अंतर्गत दिनांक 7.2.2007 को अधिसूचित दिल्ली मुख्य योजना-2021 के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 15 जोनों में बटा हुआ है, जिसमें से 8 जोन (ए से एच) शहरी क्षेत्र में आते हैं और शेष 6 जोन (जोन 'जे' से 'पी', जोन 'आई' को छोड़कर) दि.मु.यो.-2021 के शहरी योग्य क्षेत्र में हैं।

1.1 पृष्ठभूमि, अवस्थिति, सीमाएं और क्षेत्र :

5924 हेक्ट. के क्षेत्र सहित योजना जोन के-II में द्वारका उपनगर और बिजवासन रोड और रा. रा.क्षे. दिल्ली की सीमा के बीच का क्षेत्र शामिल है, जो पूर्व में दिल्ली रिवाड़ी रेलवे लाइन से, दक्षिण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा से, पश्चिम में नजफगढ़ नाले से ओर उत्तर में नजफगढ़ रोड और पंखा रोड से घिरा हुआ है।

1.2 सांविधिक प्रावधान और उद्देश्य :

दि.मु.यो.-2001 के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 15 जोन में ए से एच और जे से पी (जोन आई. को छोड़कर) बंटा हुआ है, जिसमें से 8 जोन शहरी क्षेत्र में हैं, एक नदी तल में है और शेष 6 ग्रामीण क्षेत्र में हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र को दि.मु.यो. 2021 में शहरीकरण के लिए निर्धारित किया गया है।

दिल्ली विकास अधिनियम की धारा-8 में व्यवस्था है कि मुख्य योजना को तैयार करने के साथ-साथ अथवा जितना जल्दी हो सके, जोनल विकास योजना तैयार की जानी चाहिए, इसलिए प्राधिकरण प्रत्येक जोन के लिए जोनल विकास योजना तैयार करने की कार्यवाही करेगा, उन सभी जोनों के लिए जिनमें दिल्ली को बांटा गया हो। जोनल विकास योजना में एक साइट प्लान और भूमि उपयोग प्लान जिसमें अनुमानतः अवस्थिति और भूमि उपयोग की सीमा जैसे सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक भवन/वर्क सेंटर/उपयोगिताएं, सड़कें, आवास, मनोरंजन, उद्योग, व्यावसाय बाजार, स्कूल, अस्पताल, खुले स्थान आदि होने चाहिए। दिल्ली विकास अधिनियम की धारा-10 में व्यवस्था है कि जोनल विकास प्लान किस प्रकार तैयार किए जाएं और अनुमोदित किए जाएं।

1.3 पहले से अनुमोदित जोनल विकास प्लान :

जोन के-II (द्वारका) की जोनल विकास योजना मुख्य योजना-2001 के उपबंधों के अंतर्गत तैयार की गई जो भारत सरकार की अधिसूचना सं. के-13011/7/2006-डी.डी.आई.बी. दिनांक 7.8.2006 के अनुसार अनुमोदित और अधिसूचित की गई ।

1.3.1 जोनल विकास योजना को तैयार करने के लिए फ्रेमवर्क

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने द्वारका के लिए संरचना योजना तैयार की, जो मद सं. 81/92 दिनांक 7.7.92 के अनुसार दि.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित की गई । इस संरचना योजना में 29 सैक्टरों की व्यवस्था है । बाद में सैक्टर योजनाओं को तैयार करने का कार्य आरम्भ किया गया और 1 से 26 सैक्टरों के ले-आउट प्लान पहले ही अनुमोदित किए जा चुके हैं । दि.वि. अधिनियम,1957 तथा दि.मु. यो.-2021 में व्यवस्था है कि जोनल विकास योजना तैयार करने के लिए अनुमोदित संरचना योजना और सैक्टर योजनाओं के प्रस्तावों पर भी विचार किया जाए ।

1.3.2 भूमि उपयोग योजना (2001)

पहले जोन 'के.' (पार्ट) द्वारका उपनगर की जोनल विकास योजना दि.मु.यो.-2001 के अनुसार तैयार की गई थी जिसमें प्राधिकरण द्वारा मद सं. 81/92 दिनांक 7.7.92 के अनुसार अनुमोदित संरचना योजना, शहरी विकास मंत्रालय की दिनांक 6.11.93 की अधिसूचना और फेज-1 के संबंध में भूमि उपयोग के परिवर्तन के संबंध में दिनांक 30.8.94 के शुद्धि-पत्र तथा फेज-2 के संबंध में प्राधिकरण की मद सं. 86/96 दिनांक 27.8.96 द्वारा अनुमोदित भूमि उपयोग के प्रस्तावित संशोधन को ध्यान में रखा गया था । जोन-के. (पार्ट) द्वारका फेज-1 और फेज-2 के भूमि उपयोग का विवरण निम्न प्रकार है:-

दि.मु.यो. 2001 के अनुसार भूमि उपयोग विवरण:

क्रम सं.	भूमि उपयोग	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	प्रतिशत
1.	आवासीय क) निर्मित ख) द्वारका सैक्टरों का नियोजित क्षेत्र	2912.3 1688 (29.89 प्रतिशत) 1224.3 (21.67 प्रतिशत)	51.56
2.	व्यावसायिक क) व्यावसायिक ख) सेवा केन्द्र	352.13 239.13 113.00	6.24
3.	सरकारी उपयोग	91.36	1.62
4.	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	369.94	6.55
5.	उपयोगिता	138.76	2.46
6.	मनोरंजनात्मक	1006.18	17.81
7.	परिवहन	777.33	13.76
	कुल	5648.00	100.00

2. जोनल विकास योजना प्रस्ताव :

2.1 जनसंख्या एवं रोजगार :

दि.मु.यो.-2021 के अनुसार, जोन के.-II में बसावट की क्षमता, 13 लाख की जनसंख्या के लिए प्रस्तावित है । बिजवासन सड़क और रा.रा.क्षेत्र दिल्ली की सीमा के बीच की भूमि को इस जोन के क्षेत्र में जोड़कर इसमें 5648 हेक्टेयर से 5924 हेक्टेयर की वृद्धि हो गई है । वर्ष 2021 तक 11 लाख से 13 लाख की जनसंख्या की वृद्धि को जोन के.-II के निर्मित क्षेत्र में समायोजित कर लिया जाएगा ।

द्वारका उप नगर (जोन के. पार्ट) के लिए दि.मु.यो.2001 के अनुसार दर्शाई गई प्रस्तावित जनसंख्या 11 लाख थी, जिसको समायोजित करना था । द्वारका उप नगर में 5648 हेक्टेयर का क्षेत्र है । जिसमें से, 1688 हेक्टेयर निर्मित के रूप में निर्धारित है और शेष 3960 हेक्टेयर सेक्टर 1 से 29 नियोजित/नियमित विकास के रूप में निर्धारित हैं । द्वारका के नियोजित सेक्टरों जो कि सेक्टर 1 से 23 हैं की अनुमानित जनसंख्या 7 लाख है । बचे हुए आवासीय क्षेत्र सेक्टर 19 पार्ट 23, 24 एवं 26 लगभग 90 हेक्टेयर, में केवल 50,000 जनसंख्या समायोजित की जा सकती है । सेक्टर 27, 28 एवं 29 कम घनत्व विकास के लिए नियोजित किए जाएंगे । अतः दि.मु.यो. 2021 में अनुमानित अतिरिक्त जनसंख्या को विभिन्न पुनर्विकास योजनाओं के अंतर्गत विद्यमान निर्मित क्षेत्र में समायोजित किया जाएगा । निर्मित क्षेत्र में समायोजित की जाने वाली जनसंख्या लगभग 6.5 लाख होगी । अनुमानित जनसंख्या के अनुसार वर्ष 2001 में निर्मित क्षेत्र में विद्यमान जनसंख्या 3.3 लाख है । बड़े घनत्व और प्लॉटों के लिए एफ.ए.आर. मानको को ध्यान में रखते हुए, शेष 3.2 लाख की जनसंख्या को इस निर्मित क्षेत्र में समायोजित किया जाएगा ।

2.2 आवासीय विकास

शहरी विस्तारों में उपयोगिता कॉरिडोर सहित नए आवासीय क्षेत्र :

सैक्टर 19, 23, 24 एवं 26 में द्वारका में नए आवासीय क्षेत्र इकाइयां प्रस्तावित हैं । इन सैक्टरों का विकास कम घनत्व पर किया जाएगा ।

- **विद्यमान निर्मित क्षेत्रों की पुनः संरचना तथा उन्नयन/पुनर्विकास :**

1688 हेक्टेयर के पूर्ण निर्मित क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए प्रस्ताव है जिसके लिए पुनर्विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी । इस क्षेत्र में मिश्रित उपयोग और व्यावसायिक मार्ग/सड़कें स्थानीय निकाय/सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचना के अनुसार होंगी ।

- **अनियोजित क्षेत्र : गांव और अनधिकृत कालोनियां, नियमित अनधिकृत कालोनियां :**

• **गांव : के.-II** जोन में ग्यारह गांव आबादी विद्यमान हैं । सात गांव द्वारका के नियोजित विकास से घिरे हुए हैं और चार गांव निर्मित क्षेत्र में आते हैं । निम्नलिखित गांव के.-II में गांव आबादी क्षेत्र में आते हैं :

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. पालम | 7. ककरौला |
| 2. बागडोला | 8. पोचनपुर |
| 3. नसीरपुर | 9. भरथल |
| 4. डाबड़ी | 10. धूलसिरस |
| 5. बिन्दापुर | 11. बामनौली |
| 6. अम्बरहाई | |

इन गांवों के लिए गांव विकास प्लान तैयार किए जाने हैं । साथ लगे सैक्टरों और द्वारका में उपलब्ध कराई गई कुछ सुविधाएं गांव सुविधाओं को पूरा करेंगी । इन गांवों की गांव सभा भूमि को नियोजित करना है और इनका उपयोग मुख्यतः सामाजिक सुविधाओं और मनोरंजन के लिए किया जाएगा । गांव और उसके आसपास के क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार मिश्रित भूमि उपयोग की सीमा निर्धारित होगी । ऐसी गतिविधियां जिनसे प्रदूषण उत्पन्न होता है और जिनकी प्रकृति जोखिम भरी हो को मिश्रित उपयोग में शामिल नहीं किया जाएगा । प्रत्येक गांव में दमकल गाड़ियों, चिकित्सा आपातकाल और प्राकृतिक आपदा के समय उपयुक्त आपात पहुंच मार्ग होना चाहिए, गांव में दमकल गाड़ियों का प्रवेश जितनी दूरी तक सम्भव होगा कराया जाएगा ।

गांवों में विभिन्न भूमि उपयोगों तथा सघन भवन आकार में एकरूपता, मानक परिचालन स्थल एक कम ऊंचाई उच्च आयाम विकास के मिश्रण की विशेषताएं हैं । इसमें मुख्यतः आवासीय व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग का समायोजन है और यह मिश्रित रूप में कार्य करता है । स्थानीय निकायों द्वारा आबादी क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराना और उसे आसपास के क्षेत्रों से जोड़ने के उद्देश्य से गांव के लिए व्यापक योजना पुनर्विकास क्षेत्र गांव तैयार की जाएंगी । गांव की परिधी के साथ-साथ विकास की योजना ध्यान पूर्वक बनानी होगी ।

सामाजिक और शैक्षिक सुविधाएं न्यून स्थल मानकों पर उपलब्ध कराई जाएंगी । भूमि की उपलब्धता के अनुसार समाज सदन, डिसपेंसरी आदि की सुविधाओं को इकट्ठा कर दिया जाएगा । गांवों में मिश्रित भूमि उपयोग नियमों के अनुसार भूतल पर आवासीय प्लॉटों पर नीति के अनुसार छोटी दुकानें अनुमत होंगी ।

• **अनधिकृत कालोनियां :**

द्वारका में सेक्टर 14 और 15, 16 ए. और बी. में ककरौला गांव के आसपास भी और जोन के.-II के विद्यमान निर्मित क्षेत्र में बड़ी संख्या में अनधिकृत कालोनियों हैं । क्योंकि यह सैक्टर पहले से ही दिल्ली विकास अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत डिजाइन और अनुमोदित किए गए हैं इसलिए इन अनधिकृत कालोनियों का पुनर्विकास द्वारका के ढांचा नक्शों के अनुसार होगा ।

• **नियमित अनधिकृत कालोनियां :**

जोन के.-II के निर्मित क्षेत्र में कई नियमित अनधिकृत कालोनियां हैं । इन कालोनियों के लिए मुख्य योजना नीति के अनुसार पुनर्विकास योजना तैयार की जाएगी ।

सभी अनधिकृत कालोनियों में (सेक्टर-14, 15, 16 और 18 में आने वाली कालोनियों को छोड़कर) चाहे वह निजी अथवा सरकारी भूमि पर हो, समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों के अनुसार नियमन किया जाएगा । यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि भौतिक और सामाजिक आधारिक संरचना सुनिश्चित करने के लिए सेवाओं और सामाजिक सुविधाओं का न्यूनतम आवश्यक/व्यवहार्य स्तर उपलब्ध कराया जा रहा है ।

1) **भौतिक** : संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा सेवाओं की व्यवस्था के लिए प्लान तैयार किए जाएंगे ।

2) **सामाजिक** : सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए, न्यूनीकृत स्थान मानक अपनाए जाएंगे । भूमि की उपलब्धता के अनुसार समाज सदन, डिसपेंसरी आदि जैसी सुविधाओं को इकट्ठा किया जा सकता है ।

क) प्राथमिक विद्यालय 5000 की जनसंख्या पर 800 वर्ग मीटर

ख) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 10000 की जनसंख्या पर 2000 वर्ग मीटर

शिक्षा विभाग, जी.एन.सी.टी.डी./सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों के आधार पर विद्यमान मान्यता प्राप्त विद्यालयों के इन मानकों में अतिरिक्त छूट दी जा सकती है ।

ग) निम्नलिखित सुविधाओं को जोड़कर एक मिश्रित सुविधा केन्द्र बनाया जा सकता है (500-1000 वर्ग मीटर)

1) बहु उद्देश्य समाज सदन — 100 वर्ग मीटर

2) बस्ती विकास केन्द्र — 100 वर्ग मीटर

3) धार्मिक स्थल — 100 वर्ग मीटर

4) पुलिस पोस्ट — 100 वर्ग मीटर

5) स्वास्थ्य केन्द्र — 100 वर्ग मीटर

6) पार्क/शिशु वाटिका — 200 वर्ग मीटर

7) मिल्क बूथ, उचित मूल्य की दुकान, मिट्टी के तेल की दुकान आदि जैसी अनिवार्य फुटकर दुकानों हेतु क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा ।

8) जहां भी आवश्यकता हो अनौपचारिक व्यापार इकाइयां और साप्ताहिक बाजार के लिए व्यवस्था की जाएगी ।

- **मिश्रित उपयोग :**

जोन के.-II क्षेत्र में मुख्य चौराहों पर नियोजित प्रकार से मिश्रित भूमि उपयोग की अनुमति दी गई है । दि.मु.यो. 2021 के प्रावधानों के अनुसार मुख्यतः निर्मित क्षेत्रों में (अनधिकृत कालोनियां) और मिश्रित उपयोग को रोका जाएगा, जहां पर स्थानीय निकाय ने पहले से ही ऐसी सड़कों को अधिसूचित कर दिया है या क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर आने वाले समय में अधिसूचित किया जा सकता है ।

- **शहरी गरीबों के लिए आवास :**

निर्मित क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भूमि, समूह आवास योजनाओं के रूप में सेना के कर्मचारियों के लिए निर्मित इकाइयों को प्रोत्साहन दिया जाएगा । विस्तृत शहरी पुनर्विकास प्लान के समय पर इनके लिए पाकेट/क्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे ।

- **एम.आर.टी.एस. कॉरिडोर के साथ उच्च घनत्व विकास :**

के.-II जोन (द्वारका) में मेट्रो कॉरिडोर (30 मीटर चौड़ा) रेखीय जिला केन्द्र से होकर गुजरता है 21, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 में इन पर विचार, नियोजन और क्रियान्वयन किया गया, क्योंकि यह पूर्व नियोजित मेट्रो कॉरिडोर है, अतः मेट्रो कॉरिडोर के साथ-साथ घनत्व को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

2.3 कार्य केन्द्र

- **उद्योग**

द्वारका उप नगर वाले के.-II जोन में, हवाई अड्डा समीप होने के कारण कोई भी औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित नहीं है । हालांकि द्वारका के सैक्टर 29 और सैक्टर 20 और सैक्टर 25 में पहले से ही सेवा केन्द्र रखे गए हैं ।

- **व्यापार एवं वाणिज्य, थोक बाजार**

द्वारका उप नगर के नियोजित सैक्टर में व्यावसायिक केन्द्रों की श्रृंखला, द्वारका मेट्रो कॉरिडोर के साथ-साथ रेखीय जिला केन्द्र, प्रत्येक सैक्टर में समाज सदन तथा स्थानीय बाजार और सुविधा बाजार के रूप में है । इसके अतिरिक्त, सैक्टर 6, 10 और 11 में मुख्य यातायात चौराहों पर मिश्रित भूमि उपयोग प्लॉट प्रस्तावित हैं । सैक्टर 25 एवं 26 में 143 हेक्टेयर क्षेत्र का एक एकीकृत भाड़ा परिसर प्रस्तावित है । यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट होने के कारण मुख्यतः हवाई अड्डे के निकट होने के कारण मुख्यतः हवाई कार्गो व्यापार तथा थोक व्यापार के भाग के रूप में अन्य कुछ वस्तुओं का योगदान देगा ।

- **अनौपचारिक व्यापार एवं वाणिज्य :**

नए सैक्टरों में, अनौपचारिक व्यापार सेवा बाजार प्रस्तावित किए जा रहे हैं । निर्मित क्षेत्र में, जहां कहीं भी भूमि उपलब्ध होती है पुनर्विकास प्लान के भाग के रूप में ऐसे अनौपचारिक बाजार प्रस्तावित किए जाएंगे ।

• **सरकारी कार्यालय :**

के.-II जोन (द्वारका) में 1.68 प्रतिशत भूमि सरकारी उपयोग के लिए प्रस्तावित की गई है ।

2.4 सामाजिक आधारिक संरचना :

जोन के.-II की क्षेत्रीय योजना में दि.मु.यो. 2001 के मानकों के अनुसार सामाजिक आधारिक संरचना उपलब्ध कराई गई है । दि.मु.यो.-2021 के अनुसार निर्मित क्षेत्र में अतिरिक्त जनसंख्या को समायोजित करना प्रस्तावित है, सामाजिक आधारिक संरचना की सुविधाओं को न्यूनीकृत क्षेत्र मानकों के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा । स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल सुविधाएं, संचार, रक्षा एवं सुरक्षा तथा अन्य सुविधाओं के लिए सामाजिक आधारिक संरचना का विवरण निम्नानुसार है :

सामाजिक आधारिक संरचना

क्रम सं.	सामाजिक आधारिक संरचना	दि.मु.यो.-2021 के अनुसार के.-II में प्रस्तावित
		सेक्टर 1 से 29
1.	स्वास्थ्य : •जनरल अस्पताल •इन्टरमीडिएट अस्पताल 'ए. एवं बी.' •पौली क्लीनिक •नर्सिंग होम •मैटरनिटी होम	3 13 2 8 5
2.	शिक्षा : •विश्वविद्यालय •कॉलेज •उच्च शिक्षा संस्थान	1 3 7
3.	खेल सुविधाएं : •खेल परिसर •मनोरंजनात्मक संस्थान	8 1
4.	संचार : •आर.एल.यू./ टेलीफोन एक्सचेंज •डाकघर	6 2
5.	रक्षा एवं सुरक्षा : •पुलिस स्टेशन •फायर स्टेशन	4 5
6.	अन्य : •ई.एस.एस. 220/66 के.वी. •बस टर्मिनल/बस डिपो •जिला/सामाजिक पार्क	3/11 5 3

	<ul style="list-style-type: none"> •समाज केन्द्र •गंदे पानी के शोधन की सुविधा •सीवरेज पम्पिंग स्टेशन 	10 1 4
7.	<ul style="list-style-type: none"> •श्मशान भूमि •कब्रिस्तान •गैस क्रिमेटरियम •सिमिट्री 	सैक्टर-24 एवं सैक्टर-29 में एक-एक

- यह संख्या अनुमानित है निर्मित क्षेत्र में पुनर्विकास योजना तैयार करते समय और नियोजित और अनुमोदित किए जाने वाले सैक्टरों में और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ।

पुनर्विकास योजनाएं तैयार करते समय निर्मित क्षेत्र में विद्यमान और प्रस्तावित सुविधाओं का हिसाब लगाया जाएगा । नियमन के लिए विद्यमान सुविधाओं पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे मुख्य योजना सड़कों, आधारीक संरचना कॉरिडोर/सेवाओं, दि.मु.यो.-2021 मानकों के स्तर तक बढ़ाई गई उपयोगिताओं पर प्रभाव न डालें । इसके साथ यह भी शर्त है कि सभी शुल्कों और प्रभारों जैसे परिवर्तन प्रभारों, सुधार प्रभारों, अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभारों आदि का भुगतान किया जाए, ले-आउट प्लान और भवन नक्शे का नियमन करते समय ।

2.5 परिवहन नेटवर्क

सड़क, रेल, हवाई मार्ग :

द्वारका उप-नगर को एक शहर से दूसरे शहर और शहर के अंदर आवागमन में वृद्धि के लिए एक अत्यधिक कुशल जन परिवहन प्रणाली की आवश्यकता है । अतः एक बहुविध परिवहन प्रणाली तैयार की गई है, जिसमें रेलवे मार्ग सहित एक रोड नेटवर्क क्रमबद्धता शामिल है ।

द्वारका उप-नगर में अपनाई गई सड़क प्रणाली की क्रमबद्धता निम्नानुसार है :-

- (1) मुख्य सड़कें – 100 मीटर मार्गाधिकार एवं 80 मीटर मार्गाधिकार
- (2) अन्य मुख्य सड़कें – 60 मीटर मार्गाधिकार एवं 45 मीटर मार्गाधिकार
- (3) प्राइमरी उप मुख्य सड़कें (कलैक्टर) – 30 मीटर
- (4) सैकेन्डरी उप मुख्य सड़कें (कलैक्टर) – 18 मीटर

एम.आर.टी.एस. कॉरिडोर :

- सैक्टर 21 तक के.-II जोन आई.टी.ओ. बारहखम्भा रोड –नजफगढ़ लाइन के एम.आर.टी.एस. द्वारा जुड़ती है ।

- सैक्टर 21 से आरम्भ होने वाला एक नया कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो पश्चिमी-दक्षिणी में 100 मीटर की सड़क, रोहिणी और नरेला परियोजनाओं को जोड़ती पश्चिमी एवं उत्तरी के साथ-साथ होगा ।
- सैक्टर-21 द्वारका को ई.गां.अ. हवाई अड्डे और नगर केन्द्र (राजीव चौक) से जोड़ना भी प्रस्तावित है ।

एकीकृत महानगर यात्री टर्मिनल :

सैक्टर 21 में एक एकीकृत महानगर यात्री टर्मिनल का प्रस्ताव दिया गया है 140 हैक्टेयर का क्षेत्र यात्रियों द्वारा गाड़ी बदलने के स्थान के रूप में उत्तरी रेलवे और डी.एम.आर.सी. द्वारा उपयोग किया जाएगा ।

• अ.रा.बस अड्डा :

द्वारका एन.एच.-8 और एन.एच.-10 को जोड़ने वाली 100 मी. की सड़क पर सैक्टर 22 में लगभग 10 हैक्टेयर क्षेत्र का अ.रा.बस अड्डा प्रस्तावित है ।

• हवाई अड्डा :

एन.एच.-8 को द्वारका से जोड़ने वाली 100 मीटर लिंक रोड द्वारा के.-II जोन और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जुड़ते हैं ।

• पार्किंग :

दि.मु.यो.-2021 के मानकों के अनुसार पार्किंग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपनगर केन्द्र में, सामुदायिक केन्द्र, टर्मिनलों, अलग पॉकेटों और पुनर्विकास क्षेत्रों आदि में विशिष्ट बहुस्तरीय पार्किंग प्रस्तावित है । 4 अवस्थितियां प्लान में दर्शाई गई हैं । निश्चित अवस्थिति और क्षेत्र को यातायात विभाग से परामर्श करके अंतिम रूप दिया जाएगा ।

2.6 पर्यावरण/महत्वपूर्ण क्षेत्र

• खुले स्थानों की प्रणाली :

कुल उपनगर क्षेत्र का लगभग 17 प्रतिशत मनोरंजनात्मक क्षेत्र में आता है । जिला पार्क (नाले के किनारे और साथ लगे निचले क्षेत्र के साथ-साथ) और खेल परिसर के रूप में मनोरंजनात्मक क्षेत्र उपलब्ध कराया गया है ।

• जल निकाय :

1 हैक्टेयर से अधिक वाले सभी निर्धारित जल निकायों का संरक्षण करना और उन्हें बनाए रखना प्रस्तावित है । माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार जल निकाय गांव पालम, बागडोला,

अम्बरहाई, पोचनपुर के राजस्व रिकार्ड के अनुसार जल निकाय के रूप में विकास और संरक्षण के लिए नियोजित किया गया है ।

- **हरित पट्टी :**

मुख्य योजना के अनुसार बिजवासन सड़क की दक्षिण की लगभग 276 हेक्टेयर भूमि हरित पट्टी में जोड़ दी गई है ।

2.7 शहरी डिजाइन के लिए क्षेत्र :

रेखीय जिला केन्द्र का शहरी डिजाइन विशेष रूप से सेक्टर 14,13,12,11,10 में मेट्रो स्टेशनों के चारों ओर को तैयार कर लिया गया है और दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है ।

2.8 निर्मित विरासत का संरक्षण :

के.-II जोन में महत्वपूर्ण निर्मित विरासत के.-II जोन के गांवों तक सीमित है । इन गांवों के विकास के लिए स्थानीय एजेंसियों द्वारा गांव विकास योजना तैयार करने का कार्य आरम्भ किया जाएगा ।

भारतीय पुरातत्व विभाग ने पहले मुगल शहंशाह बाबर दिनांक 1528 ई.पू. (पालम गांव के मुख्य चौक से दक्षिणी-पश्चिम) शासन काल में निर्मित केवल एक मस्जिद को संरक्षित स्मारक निर्धारित किया है ।

2.9 भौतिक आधारिक संरचना

- **जल आपूर्ति :**

अनुमानित जनसंख्या के आधार पर जोन के.-II के लिए जलापूर्ति मांग के 60 एम.जी.डी. होने का अनुमान है, जिसकी आपूर्ति जोन के.-II से लगे हुए गाँव मसूदाबाद के प्रस्तावित जल शोधन संयंत्र द्वारा की जाएगी । जलापूर्ति प्रणाली में भूमिगत जलाशय/बाहर जुड़े कमान्ड टैंक (एक कमान्ड टैंक 1.5 लाख से 2.0 लाख तक की जनसंख्या को पानी देगा) शामिल होंगे, प्रत्येक कमान्ड टैंक का इसका अपना कमान्ड क्षेत्र है ।

- **सीवरेज :**

अनुमानित जनसंख्या के आधार पर जोन के.-II में मल व्ययन में लगभग 48 एम.जी.डी. की वृद्धि होगी । द्वारका में एक मल-जल शोधन संयंत्र की योजना बनाई गई है । मल-जल शोधन संयंत्र का स्थान ढलान और स्थल स्थितियों द्वारा तय किया जाता है । मल-जल व्ययन प्रणाली में ग्रेविटी मेन, सीवेज पंपिंग स्टेशन (एस.पी.एस.) और राइजिंग मेन शामिल हैं । मल जल शोधन संयंत्र नजफगढ़ नाले के निकट स्थित है जो शोधित मल का निपटान करेगा और कुछ शोधित मल-जल को प्रस्तावित हरित क्षेत्रों को बनाए रखने के उपयोग में लाया जाएगा ।

- **ड्रेनेज :**

सम्पूर्ण द्वारका परियोजना के कुल आवाह क्षेत्र के लिए निकास प्रणाली बरसात की तीव्रता और औसतन 70 प्रतिशत प्रवाह के आधार पर तैयार की गई है। नजफगढ़ नाले की तरफ विद्यमान प्राकृतिक ढलान, एक समुचित निकास प्रणाली तैयार करने के लिए इसके लाभ को प्राकृतिक ढलान के उपयोग को अत्याधिक मितव्ययी और उत्कृष्ट रूप में समीचीन बनाता है। छ: बड़े बाहरी नालों के निर्माण का प्रस्ताव है, जो जोन के-II के मल-जल का निपटान करेंगे। ये नाले इनसे जुड़े हुए हरित क्षेत्र से होकर गुजरेंगे ताकि ये निकटवर्ती हरित क्षेत्र के भू-दृश्यांकन के साथ समाविष्ट हो जाएं। नजफगढ़ नाले के साथ कुछ धारणशील तालाबों का प्रस्ताव किया गया है, जहाँ से बाहर गिरने वाले नाले से मल निकास होगा। इनसे आस-पास के क्षेत्र के जल स्तर को उठाने के लिए भी मदद मिलनी चाहिए और ये जल क्रीड़ा आदि के लिए भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। नजफगढ़ नाले के लिए एक विशिष्ट योजना तैयार और कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

- **कूड़ा निपटान :**

द्वारका उपनगर के निवासियों और बढ़ती हुई जनसंख्या पर विचार करते हुए कूड़ा लगभग 80 एम.टी. होने का अनुमान है। जोन के-II अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और इसके उड़ान पथ के निकट होने के कारण बड़ी मात्रा में कूड़े के निपटान के लिए आधुनिक और परिष्कृत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है तथा द्वारका और इसके आस-पास कूड़े को जैविकीय तथा गैर जैविकीय में शोधन के लिए उपयुक्त भूमि के निर्धारण पर भी उपयुक्त रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

- **विद्युत :**

द्वारका उपनगर के कुल 500 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। एक ग्रिड स्टेशन बनाया गया है, जो ओवरहेड फीडर से 400 के.वी. बिजली प्राप्त करेगा और तीन 220 के.वी.ग्रिड स्टेशनों को बिजली प्रदान करेगा। ये ग्रिड स्टेशन आगे ग्यारह 66 के.वी. ग्रिड स्टेशन को और अंत में 11 के.वी. ग्रिड स्टेशन को बिजली प्रदान करेंगे। सम्पूर्ण द्वारका क्षेत्र में 66 के.वी., 220 के.वी. के लिए भूमिगत केबल बिछाना प्रस्तावित है। सैक्टर-29 में 750 के.वी.गैस पावर स्टेशन के लिए एक नया स्थल निर्धारित किया गया है।

2.10 हरित पट्टी

जहाँ कहीं भी उपलब्ध हो एक गाँव की गहराई हरित पट्टी के रूप में दि.मु.यो.-2021 द्वारा प्रस्तावित है। के-II जोन में बिजवासन-नजफगढ़ सड़क और रा.रा.क्षे.दिल्ली की सीमा के 276 हेक्टेयर क्षेत्र की भूमि हरित पट्टी के रूप में प्रस्तावित है। हरित पट्टी में अनुमत उपयोग दि.मु.यो.-2021 के मानकों के अनुसार होंगे।

2.11 मनोरंजनात्मक उपयोग

जोन के-II में 16.98 प्रतिशत मनोरंजनात्मक उपयोग के लिए प्रस्तावित की गई है। बड़े आकार के नगर स्तर मनोरंजनात्मक उपयोग सैक्टर-5, 16, 19, 20, 23, 24, 25 एवं 29 में प्रस्तावित हैं।

2.12 प्रस्तावित भूमि उपयोग

के.-II के प्रस्तावित भूमि उपयोग में निर्मित क्षेत्र, द्वारका के पुनर्विकास के लिए प्रस्तावित सैक्टर 1 से सैक्टर 29 और बिजवासन सड़क के दक्षिण में हरित पट्टी शामिल हैं ।

क्रम सं.	अवस्थिति	क्षेत्र (हैक्टेयर में)	संशोधन		टिप्पणी
			से	में	
1.	सैक्टर-14	15.26 0.45 6.98 5.09	आवासीय व्यावसायिक मनोरंजनात्मक परिवहन	स्कल आवासीय (निर्मित)	स्थिति के आधार पर निर्मित के कारण
2.	सैक्टर-25	5.95	व्यावसायिक (सेवा केन्द्र)	स्कल आवासीय (निर्मित)	-वही-
3.	सैक्टर-23 फेज-2	19.02 0.08 1.96 4.65	आवासीय आवासीय मनोरंजनात्मक परिवहन	स्कल आवासीय (निर्मित)	-वही-
4.	सैक्टर-16 (ख)	9.68 3.20 2.01	आवासीय मनोरंजनात्मक परिवहन	स्कल आवासीय (निर्मित)	-वही-
5.	सैक्टर-19 (फेज-2)	1.58 0.02 0.54	आवासीय मनोरंजनात्मक परिवहन	स्कल आवासीय (निर्मित)	-वही-
6.	सैक्टर-27	8.40 0.17 0.72	आवासीय मनोरंजनात्मक	स्कल आवासीय (निर्मित)	-वही-
7.	सैक्टर-28	13.13 2.10 1.84 0.40	आवासीय व्यावसायिक परिवहन मनोरंजनात्मक	स्कल आवासीय (निर्मित)	-वही-
8.	सैक्टर-29	22.05 0.35 1.82	आवासीय आवासीय परिवहन	स्कल आवासीय (निर्मित)	-वही-
9.	सैक्टर-26	0.88 0.16	आवासीय परिवहन	सकल	-वही-
10.	सैक्टर-23 फेज-1	2.97	मनोरंजनात्मक	स्कल आवासीय (निर्मित)	-वही-

11.	सैक्टर-21	9.88	परिवहन	स्कल आवासीय (निर्मित)	—वही—
12.	सैक्टर-15	96.24 7.20 1.10	आवासीय पी.एस.पी. उपयोगिता	सकल आवासीय (निर्मित)	—वही—

उक्त स्थिति के आधार पर जोन के.-II (2021) के लिए प्रस्तावित भूमि उपयोग निम्नानुसार है ।

के.-II-2021 का प्रस्तावित भूमि उपयोग

क्रम सं.	भूमि उपयोग	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	प्रतिशतता
1	आवासीय क) निर्मित (पुनर्विकास) ख) नियोजित क्षेत्र	2956.65 1933.33(32.64 प्रति.)# 10.23.32 (17.27 प्रति.)	49.91
2	व्यावसायिक क) व्यावसायिक (आई.एफ.सी.संहिता) ख) सेवा केन्द्र	342.82 299.77 43.05	5.78
3	सरकारी उपयोग	99.97	1.69
4	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	363.00	6.13
5	उपयोगिता	154.66	2.61
6	मनोरंजनात्मक	979.30	16.53
7	परिवहन	763.60	12.89
8	हरित पट्टी	264.00	4.46
जोन के. II	कुल	5924.00	100.00

निर्मित क्षेत्र का भूमि उपयोग केवल अनुमानित है जिसका पुनर्विकास नीति के अनुसार किया जाना है ।

2.13 चरण और कार्यान्वयन

2.13.1 : दि.वि.प्रा. द्वारा विकास :

के.-II का विकास दो चरणों में किया जाएगा अर्थात् दि.वि.प्रा. की भूमि का कार्यान्वयन और विकास तथा निर्मित क्षेत्रों और गाँवों के लिए पुनर्विकास योजनाएँ प्रत्येक गाँव के लिए तैयार की गई गाँव विकास योजना के अनुसार स्थानीय एजेंसियों द्वारा गाँव का विकास किया जाएगा ।

2.13.2 पुनर्विकास योजनाएं :

प्रस्तावित पुनर्विकास योजना निर्मित क्षेत्र में मुख्य प्रस्तावित सड़कों के साथ-साथ होंगी, जो स्थानीय एजेंसियों द्वारा प्रारंभ की जाएंगी । मिश्रित उपयोग की अवधारणा पुनर्विकास योजना तैयार करते समय क्रियान्वित की जाएगी । गाँवों को विशिष्ट क्षेत्र के रूप में देखा जाएगा और गाँवों के लिए क्रियान्वित की जाने वाले अच्छे प्लान तैयार किए जाएंगे ।

2.14 प्लान का पुनरीक्षण और मॉनीटरिंग

नगर में जीवन का स्तर बेहतर बनाने के लिए अपेक्षित बदलावों का मूल्यांकन करने के लिए जोनल प्लान मॉनीटरिंग अनिवार्य है । सही प्रकार चरणबद्ध मॉनीटरिंग विलीन हो रही सामाजिक-आर्थिक बलों को क्रियाशील बनाने में मदद करती है । प्लान का क्रियान्वयन तभी कारगर हो सकता है, जब सही अंतरालों पर उसे मॉनीटर किया जाए और उसका पुनर्वलोकन किया जाए ।

कोई लम्बी अवधि का प्लान उसी रूप में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता । परियोजनाओं और योजनाओं के अनुसार कार्यान्वयन की प्रक्रिया विभिन्न निर्धारित अवधियों में बाँटी जाएगी । इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए मुख्य योजना के प्रत्येक पहलू के लिए समय-समय पर मॉनीटरिंग की जानी आवश्यक है ।

निम्नलिखित के लिए वैज्ञानिक मॉनीटरिंग की व्यवस्था अनिवार्य है :

- 1) अवधि प्लान में प्लान का प्रभावी कार्यान्वयन, जिसके द्वारा प्रत्याशित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा ।
- 2) नगर के लोगों की बदलती सामाजिक आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करना ।
- 3) नगर में अवांछित वृद्धि को रोकना ।
- 4) विभिन्न कार्यान्वयन योजनाओं और लोगों की आवश्यकताओं के बीच का अंतराल ।
- 5) प्लान नीतियों के औचित्य का पुनरीक्षण ।

मुख्य योजना के लक्ष्यों के लिए मॉनीटरिंग फ्रेमवर्क से विभिन्न सैक्टरों के कार्य का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है जिसे प्राथमिकता दी जाने की आवश्यकता है । विचारक पहलुओं और उनके लक्ष्यों के लिए कम अवधि मॉनीटरिंग की आवश्यकता है ताकि लगातार समय-समय पर उनका पुनरीक्षण किया जा सके ।

दि.मु.यो.-2001 और दि.मु.यो.-2021 के अंतर्गत तैयार की गई जोनल प्लानों में परिवर्तन

क्र.सं.	विवरण	दि.मु.यो.-2001	दि.मु.यो.-2021	टिप्पणी
1.	जोन का नाम	जोन के. (भाग) द्वारका उपनगर	जोन के.-II	
2.	क्षेत्रफल	5648 हेक्टेयर	5924	नजफगढ़ – बिजवासन सड़क और रा.रा. क्षेत्र दिल्ली की सीमा के बीच का क्षेत्र दि.मु.यो. 2021 में जोड़ा गया है ।
3.	प्रस्तावित जनसंख्या	11 लाख	13 लाख	
3.	हरित पट्टी	—	264 हेक्टेयर	नजफगढ़ – बिजवासन सड़क और रा.रा.क्षे. दिल्ली चारदीवारी के बीच का क्षेत्र जो पहले ग्रामीण उपयोग जोन था, उसे अब दि.मु.यो. 2021 भूमि उपयोग योजना के अनुसार हरित पट्टी के रूप में अधिसूचित किया गया है ।
4.	अनधिकृत कालोनियां	जोन क्षेत्र का लगभग 30 प्रतिशत निर्मित क्षेत्र में आता है ।	पहले के अतिरिक्त सेक्टर 14, 15, 16 और 23 की अनधिकृत कालोनियां जोनल प्लान में निर्मित क्षेत्र के रूप में दर्शाई गई हैं ।	सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र 'पुनर्विकास क्षेत्र' के रूप में प्रस्तावित है और इसका पुनर्विकास इस विषय पर बनी नीति के अनुसार किया जाएगा ।

भूमि उपयोग :

क्र.सं.	भूमि उपयोग	क्षेत्र (हेक्टे. में) 2001	प्रतिशत	क्षेत्र (हेक्टे. में) 2021	प्रतिशत
1.	आवासीय	2912.3	51.56	2956.65	49.91
2.	व्यावसायिक	352.13	6.24	342.82	5.78
3.	सरकारी उपयोग	91.36	1.62	99.97	1.69
4.	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक	369.94	6.55	363.00	6.13
5.	उपयोगिताएं	138.76	2.46	154.66	2.61
6.	मनोरंजनात्मक	1006.18	17.81	979.30	16.53
7.	परिवहन	777.33	13.76	763.60	12.89
8.	हरित पट्टी	—		264.00	4.46
	कुल	5648.00	100	5924.00	100


क्षेत्रीय योजना में समाविष्ट संशोधन (दिनांक) 3.9.07 को आयोजित तकनीकी समिति की बैठक के अनुसार)

जोन के.-II (द्वारका) में क्षेत्रीय योजना में समाविष्ट संशोधन

क्र. स.	अवस्थिति	क्षेत्र (हेक्टे.में)	संशोधन		टिप्पणी
			से	तक	
1.	सैक्टर-29	17.0	4 हेक्टे. पी. एस.पी. उपयोग से 13 हेक्टे. आवासीय से	उपयोगिता (पावर प्लांट)	प्रस्तावित गैस आधारित पावर प्लांट के लिए दिनांक 12.4.2007 की मद सं. 46/07 के द्वारा तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित ।
2.	सैक्टर-29	3.5	मनोरंजनात्मक उपयोग	पी.एस.पी. सुविधाएं (श्मशान भूमि, कब्रिस्तान, सी.एन.जी. चलित शहदाह गृह और सिमिट्री)	नजफगढ़ नाले के पास और प्रस्तावित 30 मीटर सड़क के समीप जोनल प्लान में प्रस्तावित ।
3.	सैक्टर-10	0.61	आवासीय	सरकारी उपयोग (जिला कोर्ट)	द्वारका जिला न्यायालय के मालखाने के निर्माण के लिए मद सं. 44/07 दिनांक 12.4.07 द्वारा तकनीकी समिति द्वारा और मद सं. 57/07 दिनांक 27.7.07 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया ।
4.	सैक्टर-10	0.814	व्यावसायिक	पी.एस.पी. सुविधाएं	मद सं. 44/07 दिनांक 12.4.07 अनुसार तकनीकी समिति द्वारा और मद सं. 57/07 दिनांक 27.7.07 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया ।
5.	सैक्टर-27, 28 और 29	4.0 12.0	आवासीय हरित पट्टी	परिवहन परिवहन	जोनल प्लान में प्रस्तावित व्यवहार्यता पर आधारित 45 मीटर मार्गाधिकार की सड़क को 80 मीटर मार्गाधिकार (यू.ई.आर.) तक चौड़ा करना प्रस्तावित है ।
6.	सैक्टर-21	8.0	परिवहन (यात्री टर्मिनल)	सरकारी (अनिर्धारित उपयोग)	जोनल प्लान में संशोधन के लिए प्रस्तावित (रेलवे से व्यवहार्यता की शर्त पर एस.पी.जी. के लिए अतिरिक्त भूमि अपेक्षित है)
7.	अलग पड़ी पाकेट 11 और 12	4.0	परिवहन (रेलवे स्टेशन)	आवासीय	जोनल प्लान में यात्री टर्मिनल के रूप में प्रस्तावित (रेलवे स्टेशन) को सैक्टर-21 में विकास के लिए प्रस्तावित है ।

8.	सैक्टर-24	4.04	मनोरंजनात्मक	परिवहन	सैक्टर-24 में परिचालन प्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य के लिए प्रस्तावित 30 मीटर सड़क को 60 मीटर मार्गाधिकार तक चौड़ा करना जोनल प्लान में प्रस्तावित है ।
9.	सैक्टर-24	2.0	मनोरंजनात्मक	परिवहन	प्रस्तावित 100 मीटर मार्गाधिकार और प्रस्तावित 60 मीटर मार्गाधिकार सड़क के जंक्शन पर चौराहे के सुधार के लिए जोनल प्लान भूमि आरक्षण प्रस्तावित ।
10.	सैक्टर-16 सी.	0.7 0.7	मनोरंजनात्मक आवासीय	परिवहन परिवहन	प्रस्तावित 100 मीटर सड़क से द्वारका में उपलब्ध कराने वाले नए लिंकेज के लिए 45 मीटर सड़क मार्गाधिकार के लिए जोनल प्लान में प्रस्तावित ।
11.	सैक्टर-16 डी.	0.94	मनोरंजनात्मक	परिवहन	प्रस्तावित 100 मीटर सड़क से द्वारका में उपलब्ध कराने वाले नए लिंकेज के लिए 45 मीटर सड़क मार्गाधिकार के लिए जोनल प्लान में प्रस्तावित ।
12.	सैक्टर-24	सैक्टर 24 में यह मनोरंजनात्मक उपयोग का भाग है ।	परिवहन (नजफगढ़ नाले के साथ-साथ 30 मीटर सड़क)	मनोरंजनात्मक	सैक्टर-24 में 30 मीटर सड़क मनोरंजनात्मक उपयोग का भाग थी (प्रस्तावित 100 मीटर से पालम नाले), जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह दोनों ओर के किसी भी रिहायशी क्षेत्र को लिंक प्रदान नहीं करती ।

अवस्थिति प्लान जोन के-॥



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
जोन (डिवीजन)

